

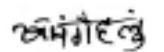
एफ. सं. 2-7/2022- स्कूल. 3
भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

शास्त्री भवन
नई दिल्ली, 08 अगस्त, 2022

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

चाही गयी सूचना दी गयी	मंत्रालय द्वारा प्राप्त सूचना
1. भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल (Council of Boards of School Education in India (COBSE) सरकारी संगठन है अथवा नहीं। 2. भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मण्डल (COBSE) संसद या राज्य विधायिका द्वारा स्कूली शिक्षा को सत्यापित करने के लिए स्थापित किया गया है अथवा नहीं। 3. भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मण्डल (COBSE) को किसी बोर्ड अथवा शिक्षा संस्थान को फर्जी घोषित करने का सम्पूर्ण अधिकार है अथवा नहीं। 5. ऐसा कोई सरकारी आदेश है कि हरेक बोर्ड/शिक्षा संस्थान को भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मण्डल (COBSE) का सदस्य होना आवश्यक है अथवा नहीं। 4. किसी बोर्ड अथवा शिक्षा संस्थान को फर्जी घोषित करने का सम्पूर्ण अधिकार किसके पास है।	1. बिन्दु संख्या 1 से 3 और 5 के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया (COBSE) एक निजी संगठन है और इसकी स्थापना इस मंत्रालय द्वारा नहीं की गई है। चूंकि, COBSE की सदस्यता स्वैच्छिक है, इसलिए COBSE किसी भी शिक्षा बोर्ड को मान्यता/अनुमति/सदस्यता देने लिए अधिकृत नहीं है। एक पत्र संख्या एफ 2-35/2011- स्कूल. 3 दिनांक 24.04.2017 संलग्न है। 2. बिंदु संख्या 4 के संबंध में, शिक्षा भारत के संविधान 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत आती है, इसलिए, केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों के पास अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर शिक्षा बोर्डों की स्थापना को विनियमित करने के लिए अधिनियम, नियम, विनियम, निर्देश आदि बनाने की शक्तियां हैं। इस प्रकार सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास अपने क्षेत्राधिकार में सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शिक्षा बोर्डों की स्थापना / मान्यता को विनियमित करने के लिए अपने अधिनियम, नियम, विनियम और अनुदेश होने चाहिए।

आपका विश्वासी



(खमंगैहलू)

अवर – सचिव । भारत सरकार एवं सीपीआईओ